दिनांक 04.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उ0प्र0 पुलिस में 60,244 आरक्षी ना0पु0 के पदों पर प्रचलित सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा गोष्ठी

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांकः 04–02–2025 को पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक / स्थापना, पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण के साथ उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी ना0पु0 के पदों पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत भर्ती होने वाले 60,244 अभ्यर्थियों का 09 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एक साथ कराये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी।

विदित हो कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों की सीधी भर्ती प्रदेश की अब तक की सबसे बड़े सेवायोजन से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण भर्ती है। अन्तिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त उनका चिकित्सीय परीक्षण एवं परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चरित्र–सत्यापन उनके गृह जनपदों से कराया जायेगा इसमें उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0) प्रदेश के 75 जनपदों में कराया जायेगा तत्पश्चात 09 माह का आधारभूत प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्रों पर कराया जायेगा।

प्रशिक्षण के लिए सभी प्रकार के संसाधन (Infrastructure) और सभी अधिकारियों एवं कर्मियों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। **पुलिस महानिदेशक** उ0प्र0 द्वारा समीक्षा गोष्ठी के दौरान मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गयेः–

- प्रशिक्षण हेतु समस्त आधार भूत सुविधाओं एवं संसाधनो की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- प्रशिक्षुओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न तकनीकी यथा वीडियो कान्फ्रेसिंग इत्यादि माध्यमों से प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिये आधुनिकी तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था पूर्व से कर ली जाय।

- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को तीन नये कानूनों की गहनता से जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
- प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक से दक्ष बनाने हेतु साइबर क्राइम इत्यादि के बारे में गहनता से जानकारी देते हुये उन्हें प्रशिक्षित किया जाय।
- भौतिक साक्ष्य संकलन हेतु फॉरेन्सिक विषयों की क्रमबद्ध तरीके से गहन जानकारी दी जाय।
- महिला प्रशिक्षुओं की सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान मूलभूत सुविधायें यथा आवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था पूर्व से पूर्ण कर ली जाय।
- अभ्यर्थियों को व्यवसायिक रूप से दक्ष बनाने एवं आधुनिक तकनीकी ज्ञान से युक्त करने हेतु पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर कक्ष इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाय।
- प्रशिक्षुओं को आम जनता से अच्छे व्यवहार हेतु साफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान उपचार हेतु चिकित्सालय की समुचित व्यवस्था कर ली जाये।
- बाह्य प्रशिक्षण हेतु बाह्य उपकरण (आब्सटिकल), खेल सामग्री इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाय।
- अन्तः कक्ष एवं बाह्य कक्ष प्रशिक्षकों को समय से चिन्हित कर प्रशिक्षण को सुगम बनाया जाय।

दिनांक 04.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना मण्डुवाडीह

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 04.02.2025 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहाड़ी बीएलडब्ल्यू के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रेमनरायन उर्फ बाबू उर्फ बउवा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी व जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मण्डुवाडीह पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रेमनरायन उर्फ बाबू उर्फ बउवा निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, हालपता ग्राम करवत थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 04.02.2025 को थाना रकाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चीलगढ़ चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रकाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विशाल निवासी ओलिया रोड थाना रकाबगंज कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लोनी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 04 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.02.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंथला के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मो0कादिर उर्फ सोनू 2–मो0आवेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 04 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.01.2025 को थाना लोनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0कादिर उर्फ सोनू निवासी ग्राम पित्तन औन्धा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, हालपता ए–ब्लाक गली नं0–18 थाना खजूरी दिल्ली।

2–मो0आवेश निवासी ग्राम पित्तन औन्धा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, हालपता ए–ब्लाक गली नं0–18 थाना खजूरी दिल्ली।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 04 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद जौनपुर/थाना सुरेरी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 11 हजार 600 रूपये नगद**
- **झपटमारी का 01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.02.2025 को थाना सुरेरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–शिवम 2–विनय 3–अर्पित 4–विजय को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 11 हजार 600 रूपये नगद, झपटमारी का 01 मोबाइल फोन 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सुरेरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुरेरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व मोबाइल फोन लूट/झपटमारी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सुरेरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम निवासी निबी बौरी बोझ थाना दुर्गागंज, भदोही।

2–विनय निवासी निबी बौरी बोझ थाना दुर्गागंज, भदोही।

3–अर्पित निवासी ग्राम छनौरा पट्टी बेजाव थाना सुरियावां, भदोही।

4–विजय निवासी बरामदपुर थाना सरायममरेज, प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 11 हजार 600 रूपये नगद।

2–झपटमारी का 01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03.02.2025 की रात्रि थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हिंडन बैराज के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अंकित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नितीश कुमार 3–कुलदीप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी बालाजी बिहार गली नं0–1 थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद मूलपता–ग्राम चोरवर नवादा, बिहार।

2–नितीश कुमार निवासी झुग्गी झोपड़ी वसुन्दरा सेक्टर–04 खाली मैदान थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद मूलपता–ग्राम तितरी थाना लिखमिनिया जनपद बेगूसराय, बिहार।

3–कुलदीप निवासी बालाजी बिहार थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद

मूलपता–ग्राम झिन्ना थाना पठा जनपद छतरपुर, म0प्र0।

बरामदगी

1–03 मोबाइल फोन।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना सम्मनपुर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 16 बैट्री, 08 इन्वर्टर 10 मोटर पम्प, 01 स्टेप्लाइजर, 01 फ्रिज, 01 सीपीयू**
- **घटना में प्रयुक्त बलेनो कार**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 04.02.2025 को थाना सम्मनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम परस कटुई जंगलेश्वर मंदिर जंगल के पास से 06 अभियुक्तों 1–तुषार 2–आनन्द कुमार 3–सचिन 4–आदित्य 5–विवेक 6–विशाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 बैट्री, 08 इन्वर्टर, 10 मोटर पम्प, 01 स्टेप्लाइजर, 01 फ्रिज, 01 सीपीयू, घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना सम्मनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सम्मनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद, बैट्री, इन्वर्टर आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त तुषार के विरूद्ध जनपद

अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त आनन्द व सचिन के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त विशाल के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त आदित्य, विवेक के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सम्मनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तुषार निवासी अमिया बाभनपुर थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

2–आनन्द कुमार निवासी ग्राम तेन्दुआ पियारेपुर थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।

3–सचिन निवासी ग्राम अकूतपुर थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।

4–आदित्य निवासी ग्राम बुद्धिपुर थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।

5–विवेक निवासी अशरफपुर सादीपुर थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

6–विशाल निवासी ग्राम अकूतपुर थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 16 बैट्री, 08 इन्वर्टर, 10 मोटर पम्प, 01 स्टेप्लाइजर, 01 फ्रिज, 01 सीपीयू।

2–घटना में प्रयुक्त बलेनो कार।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद मऊ/थाना मधुबन

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी 11 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 04.02.2025 को थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त शिवमुनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी 11 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवमुनी निवासी गंगउपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी

1—चोरी 11 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

- **जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विन्ध्याचल को सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा

- **जनपद बलिया/थाना गड़वार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना गड़वार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ शाहरूख को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा

- **जनपद जौनपुर/थाना जफराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना जफराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————